

विज्ञापित

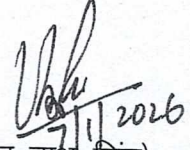
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ए-5/ई-1/2025 दिनांक 28-07-2025 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) (प्रा०) परीक्षा-2025 से संबंधित 04 विषयों यथा- सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2026 को प्रदेश के 26 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। माघ मेले के आयोजन के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।

क्र० सं०	विषय	परीक्षा तिथि/सत्र	समय
1.	सामाजिक विज्ञान	17 जनवरी, 2026/प्रथम सत्र	पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
2.	जीव विज्ञान	17 जनवरी, 2026/द्वितीय सत्र	अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
3.	अंग्रेजी	18 जनवरी, 2026/प्रथम सत्र	पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
4.	शारीरिक शिक्षा	18 जनवरी, 2026/द्वितीय सत्र	अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक

02- दिनांक 17 जनवरी 2026 को प्रथम सत्र में आयोजित सामाजिक विज्ञान विषय में चार खण्ड हैं, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, तथा नागरिक शास्त्र। प्रत्येक खण्ड में 60-60 प्रश्न हैं, अभ्यर्थियों को उक्त चार खण्डों में से किन्हीं 02 खण्डों का चयन कर उत्तर देना होगा। उक्त विषय की परीक्षा हेतु OMR Answer Sheets के प्रथम भाग में 1 से 30 तक सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय व तृतीय भाग में Optional-1 व Optional-2 अंकित है तथा उसके नीचे चारों विषयों (भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र) का उल्लेख किया गया है और विषयों के सम्मुख गोला बना हुआ है। अभ्यर्थी Optional-1 व Optional-2 के रूप में जिस विषय का चयन करेगा उसी विषय के सम्मुख बने गोले को काला करेगा तत्पश्चात् उक्त विषय से सम्बन्धित प्रश्नों को हल करेगा।

03- प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर दिनांक 08 जनवरी, 2026 से उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नम्बर के द्वारा प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश-पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आईडी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अन्तरीक्षक को आईडी0प्रूफ की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

04- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिलिपि बनाना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।"


(ओंकार नाथ सिंह)
अनुसचिव।